राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या–1805/2012/ जयपुर
2.अपील संख्या–1806/2012/ जयपुर
3.अपील संख्या– 784/2014/ जयपुर
4.अपील संख्या–1719/2014/ जयपुर

मैसर्स सुदर्शन एण्टरप्राइजेज
जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1.वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–ए, जयपुर
2.सहायक आयुक्त
वृत–ए,जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :
श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीयअभिभाषक

अपीलार्थी विभाग की ओर से

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 22-5-17.

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चार अपीलें विद्वान उपायुक्त(अपील्स)प्रथम एवं अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–प्रथक क्रमशः आदेश दिनांक 05.06.2012, दिनांक 25.07.2014 एवं 31.03.2014 के विरूद्ध पेश की गयी हैं जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–ए, जयपुर एवं सहायक आयुक्त,वृत–ए, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2010–11 के लिए पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेशों दिनांक 27.04.2011, दिनांक 30.05.2013 के द्वारा कर एवं ब्याज आरोपित किया गयाहै, जिसको यथावत रखा है।

2. सभी अपीलों में निर्णय हेतु विवादित मुख्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति सभी अपील पत्रावलियों पर पृथक से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हारपिक का विक्रय किया जाता है। उक्त बिक्रीत वस्तु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24, 26 एवं 55 के अन्तर्गत आलोच्य वर्षो के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए 4 व 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। जबकि हारपिक पर अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार सामान्य कर दर से अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर कर देयता है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तु के विक्रय पर 4 व 5 प्रतिशत करारोपण किया गया था। अतः उपरोक्त प्रकरणों में अधिनियम की धारा 26, 55 व 23/24 के अन्तर्गत के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अन्तर कर 8.5 एवं 9 प्रतिशत की दर से एवं कर बकाया रहने के कारण ब्याज निम्न तालिका के अनुसार आरोपित किया :–

अ.सं.	वर्ष	कर.नि.आदेश	कर	ब्याज	योग
1805/12	2006–07	27.04.2011	7,79,257/–	4,05,214/–	11,84,471/–
1806/12	2007–08	27.04.2011	7,67,321/–	2,80,908/–	10,48,229/–
784/14	2010–11	29.01.2013	11,36,446/–	3,10,110/–	14,46,556/–
1719/14	2008–09	30.05.2013	8,27,154/–	4,68,720/–	12,95,874/–

4. उक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा है,जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये चारों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

6. व्यवसायी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा है कि अपीलार्थी द्वारा **"हारपिक"** के विक्रय का व्यवसाय किया जाता है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची–IV की संख्या 21 व 29 के अतंर्गत आते है और इन्हीं के अनुसार, व्यवसायी द्वारा पूर्व में भी उक्त वर्गीकृत कर की दर के अनुसार ही, इन वस्तुओं पर, कर अदा किया जाता रहा है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गलत आधार पर किये गये निर्धारण आदेशों को उपायुक्त(अपील्स) द्वारा अविधिक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि व्यवसायी अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत **"हारपिक"** नामक उत्पाद राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची–V की एन्ट्री संख्या **21** व **29** से शासित है और इन पर तद्नुसार कर की राशि अदा की जा रही है परन्तु कर की विशिष्ट एन्ट्री से हट कर, आक्षेपित आदेश से **"लाईजोल"** उत्पाद को अनुसूची–V के अनुसार मूल्यांकित करके, कर की दर अधिरोपित की गयी है, जो अविधिक है। राजस्व द्वारा इन उत्पादों को कथित रूप से सफाई प्रदान करने क्लीनिंग ऐजेन्ट्स रूपी उत्पाद मानकर अविधिक रूप से इन्हें अनुसूची–V के आधार पर करारोपित करने का जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित नहीं है अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त आदेश की अविधिक तौर पर पुष्टि की है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अतः **"हारपिक"** के कर दर के सम्बन्ध में मैसर्स रेकिट बैन्काईजर इण्डिया लि0 की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में रिवीजन पिटीशन लम्बित है और कर निर्धारण के समय भी एक अन्डरटेकिंग दी गई थी कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात जो

भी निर्णय होगा उसी अनुरूप विभाग को कर का भुगतान करने का उत्तरदायित्व व्यवहारी का होगा। उक्त वस्तु की कर के दर के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सेल्स टैक्स रिवीजन/रेफरेन्सेस नम्बर 11/2012 एवं अन्य रेकिट बैन्काईजर इण्डिया लि0 बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, वाणिज्यिक कर विभाग, वार्ड–तृतीय, जयपुर के प्रकरण में निर्णय दिनांक 07.04.2017 को पारित कर दिया गया है, जिसमें हारपिक को वैट अनुसूची IV की इन्ट्री संख्या 21 से कवर होना निर्धारित किया गया है अर्थात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत हारपिक पर कर दर 4 प्रतिशत मानी गयी है। उन्होंने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया आच्छारित होने से अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया साथ ही बहस के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सेल्स टैक्स रिवीजन/रेफरेन्सेस नम्बर 11/2012 एवं अन्य रेकिट बैन्काईजर इण्डिया लि0 बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, वाणिज्यिक कर विभाग, वार्ड–तृतीय, जयपुर के प्रकरण में निर्णय दिनांक 07.04.2017 का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हारपिक को वैट अनुसूची IV की इन्ट्री संख्या 21 से कवर होना निर्धारित किया गया है अर्थात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत हारपिक पर कर दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तु को 12.5 एवं 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए 8.5 एवं 9 प्रतिशत की कर दर से अन्तर कर एवं उक्त कर को बकाया मानते हुए ब्याज आरोपित किया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गयी है, जो माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के अनुरूप नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष